



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052026-272213  
CG-DL-E-02052026-272213

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1927]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1927]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026

सं. 11/2026-27

विषय: रिलीफ के अन्तर्गत मिस्र और जॉर्डन को शामिल करने के लिए अधिसूचना सं. 65/2025-26 में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2000(अ)— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अन्तर्गत निर्यात सुविधा के लिए लचीली एवं लॉजिस्टिक्स मध्यस्थता (रिलीफ) से संबंधित अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026. में संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 6.2, 7.2 और 8.2 के उद्देश्य के लिए, वितरण अथवा ट्रांसशिपमेंट के लिए, पहले से अधिसूचित देशों के अतिरिक्त, मिस्र और जॉर्डन को शामिल करने के लिए पात्र गंतव्यों की सूची का विस्तार किया जाएगा।

3. अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव: लगातार जारी लॉजिस्टिक्स व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए मिस्र और जॉर्डन को भी ईपीएम रिलीफ के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

[फा. सं. 01/02/62/एएम-26/ईपीएम/ई-45839]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2026

**No. 11/2026-27**

**Subject: Amendment to Notification No. 65/2025-26 for inclusion of Egypt and Jordan under RELIEF – reg.**

**S.O. 2000(E).**— In exercise of powers conferred under Sections 3 and 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paras 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Notification No. 65/2025-26 dated 19.03.2026 relating to the Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) under the Export Promotion Mission (EPM).

2. For the purposes of paras 6.2, 7.2 and 8.2 of the said notification, the list of eligible destinations shall stand expanded to include **Egypt and Jordan**, in addition to the countries already notified, for shipments meant for delivery or transshipment.

3. All other provisions of Notification No. 65/2025-26 dated 19.03.2026 shall remain unchanged.

**Effect of this Notification:** Egypt and Jordan are also included under EPM RELIEF to support exporters affected by continuing logistics disruptions.

[F. No. 01/02/62/AM-26/EPM/E- 45839]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade &  
Ex-officio Addl. Secy.